जिला–सुपौल।
न्यायालय, अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद
न्यायालय संख्या–02
व्यवहार न्यायालय, सुपौल।
विविध वाद, उत्पाद संख्या–5290 / 2026
म0नि0 सिमराही थाना कांड संख्या–278 / 2026
जमानत आवेदन संख्या–1433 / 2026
दिनांक 19 / 08 / 2026

काराधीन आवेदक–अभियुक्त, **मो0 सद्दाम** की ओर से पूर्व में दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक–अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है तथा कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक–अभियुक्त की ओर से पूर्व में कोई जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक–अभियुक्त गॉव की गन्दी राजनीति के तहत झूठा फंसाया गया है। आवेदक–अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदक–अभियुक्त दिनांक 17.08.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि आवेदक–अभियुक्त को उचित जमानत पर मुक्त करने का आदेश पारित करने की कृपा किया जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक जमानत का विरोध करते है और खारिज करने की मांग करते है।

प्रस्तुत वाद सूचक, प्रभुनाथ सिंह, निरीक्षक के लिखित आवेदन के आधार पर आवेदक–अभियुक्त के विरूद्व म0नि0 सिमराही थाना कांड संख्या–278 / 2026 धारा–30ए, बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम, 2016, यथासंशोधित अधिनियम–2018 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

आवेदक–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना। विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख के अवलोकन किया अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक–अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। आवेदक–अभियुक्त के पिता मो0 कलीम की ओर से शपथपत्र दाखिल किया गया है कि आवेदक–अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से कोई अपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदक–अभियुक्त के पास से कुल मात्रा–600 मि0ली0 अवैध चुलाई शराब बरामद होने का अभियोग है। आवेदक–अभियुक्त दिनांक 17.08.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

लगातार

लगातार विविध वाद, उत्पाद संख्या–5290 / 2026
19.08.2026 म0नि0 सिमराही थाना कांड संख्या–278 / 2026

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं आवेदक–अभियुक्त के न्यायिक अभिरक्षा को ध्यान में रखते हुए जमानत पर छोड़ना न्यायसंगत और उचित समझता हूँ। अतः काराधीन आवेदक–अभियुक्त, **मो0 सद्दाम** को मो0 5,000 रूपये का समान राशि के दो प्रतिभुओं के साथ जमानत बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि अभियुक्त आरोप गठन तक सदेह न्यायालय में उपस्थित रहेंगे साथ ही आवेदक–अभियुक्त इस तथ्य का वचनबद्धता आवेदन दाखिल करेंगे कि भविष्य में इस तरह की अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे और अनुसंधान में सहयोग करेंगे। यदि अभियोजन के द्वारा इस तरह की अपराध की सूचना दी जाती है तो आवेदक–अभियुक्त का बंध पत्र खंडित कर दिया जायेगा।

लेखापित

(तेज प्रताप सिंह)
अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद
न्यायालय संख्या–02, सुपौल।
दिनांक 19.08.2026

पश्चात्

19.08.2026 उपरोक्त आदेशानुसार प्रार्थी अभियुक्त, **मो0 सद्दाम** की ओर से बंध पत्र, शपथ पत्र, अंडरटेंकिंग एवं कागजात की छायाप्रति दाखिल किया गया, जिसे जांचोंपरांत सही पाकर **स्वीकृत** किया जाता है। कार्यालय बन्दी अभियुक्त का मुक्ति आदेश निर्गत करें।

लेखापित

(तेज प्रताप सिंह)
अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद
न्यायालय संख्या–02, सुपौल।
दिनांक 19.08.2026